468

126

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:–प.3(54)नविवि/3/2011 पार्ट जयपुर, दिनांक: 20 MAY 2013

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, ... समस्त (राजस्थान)।

विषय:– प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012–13 के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान निरन्तर होकर 30.06.2013 तक बढाया गया है। राजस्व विभाग द्वारा जारी निम्न अधिसूचनाएं/आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 की अवधि के दौरान भी प्रभावशील होने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अशा0 पत्र क्रमांक प.9(126)राज–6/12/पार्ट दिनांक 13.05.2013 द्वारा अवगत कराया गया है जिसकी प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :–

क्र. सं.	आदेश/अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	विवरण
1.	प.12(28)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 26.10.2012	स्थानीय निकायों के कार्यों को सम्पादित करने हेतु पटवारियों/भू0अ0निरीक्षकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित स्थानीय निकाय को किया जावेगा।
2.	प.9(126)राज./ग्रुप/6/2012/33 दिनांक 23.10.2012	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 की उप धारा (2)(प) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि बटवारे के लिए तहसीलदार एवं अधिरोपित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों के संबंध में।
3.	प.9(126)राज./ग्रुप/6/2012/32 दिनांक 23.10.2012	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अभियान के कार्य हेतु नियुक्त समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन।
4.	प.9(126)राज./ग्रुप/6/2012/49 दिनांक 21.12.2012	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की शक्तियों का धारा 90–ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्यायोजन

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

21/5/2013

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(403)

कार्यालय नगरीय विकास विभाग
क्रमांक 6734
दिनांक 17/5/13

शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

विषयः- प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13 के संबंध में **राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में।**

संदर्भः- आपकी अशा0 टीप क्रमांक प0 3(54) नविवि/3/11/पार्ट दिनांक 3.5.13 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अशा0 टीप द्वारा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ क्रमांक प. 9(126)राज./6/2012/32 दिनांक 23.10.2012, क्रमांक प. 9(126)राज./6/2012/33 दिनांक 23.10.2012 व क्रमांक प. 9(126)राज./6/2012/49 दिनांक 21.12.2012 एवं आदेश क्रमांक प. 12(28)राज./ग्रुप-1/2010 दिनांक 26.10.2012 की अवधि दिनांक 30.6.13 तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभागीय अधिसूचनाएं/आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 की अवधि के दौरान प्रभावशील है। चूंकि प्रशासन शहरों के संग अभियान निरन्तर होकर 30.6.13 तक बढ़ाया गया है। अतः विभागीय अधिसूचनाएं/आदेश स्वतः ही बढ़ी हुयी अवधि के दौरान भी प्रभावशील है।

भवदीय,

संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
अशा0 पत्र क्रमांक प0 9(126)राज-6/12/पार्ट
जयपुर, दिनांक 13-5-13

(504)